



प्रेस नोट

थाना अफजलगढ

दिनांक 19.03.2023

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत  
मु०अ०सं० 75/2023 धारा 323/504/326 (क) भादवि से  
सम्बन्धित 02 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार किया गया  
।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक  
18.03.2023 को थाना  
अफजलगढ पर  
वादिनी की पुत्री को  
तेजाब पिला देने के  
सम्बन्ध मे थाना  
अफजलगढ पर  
मु०अ०सं० 75/2023  
धारा 323/504/326 (क)  
भादवि पंजीकृत किया  
गया ।

थाना  
अफजलगढ पुलिस  
द्वारा अभियुक्ता  
नसीमा पत्नी रईस व  
गुलफाना पुत्री रईस  
नि०गण ग्राम रसूलपुर



आबाद थाना अ०गढ  
जनपद बिजनौर को  
गिरफ्तार किया गया  
एवं अन्य विधिक  
कार्यवाही की जा रही है  
।

### कार्यवाही-

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधो की रोकथाम एवं वाछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 75/2023 धारा 323/504/326 (क) भादवि में वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1-नसीमा पत्नी रईस नि० ग्राम रसूलपुर आबाद थाना अ०गढ  
जनपद बिजनौर ।

2-गुलफाना पुत्री रईस नि० ग्राम रसूलपुर आबाद थाना अ०गढ  
जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-एस०एच०ओ० श्री मनोज कुमार सिंह थाना अफजलगढ जनपद  
बिजनौर

2-उ०नि० श्री मुकेश कुमारथाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

3-म०उ०नि० कु० काजल थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर



प्रेस नोट

थाना चांदपुर

दिनांक 20.03.2023

हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराध कारित करने वाले अभियुक्त को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा 07 वर्ष का कारावास व 20,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

### कार्यवाही –

अवगत कराना है कि दिनांक 01.02.2004 को अभियुक्त लालबहादुर पुत्र रामकुमार सिंह निवासी ग्राम सैदंबार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पिता को जान से मारने की नियत से अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर करना । जिसके सम्बन्ध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0-80/2004 धारा 307/34/504/506 भादवि पंजीकृत है । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 20.03.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम द्वारा अभियुक्त लालबहादुर को धारा 307/34 भादवि में 07 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

### दोषसिद्ध अपराधी का नाम पता-

- 1- लाल बहादुर पुत्र रामकुमार सिंह निवासी ग्राम सैदंबार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर